ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 10वां तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,
तिरछे रूप में ओबरॉय मॉल के सम्मुख, गोरेगांव (पू.), मुंबई – 400 063 भारत

मॉंग सूचना

जबकि यहां नीचे तालिका में उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं ने आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की है। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी, उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज एवं मूलधन राशि के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूकें की हैं। फलतः खाता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुसार यहां नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत, सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत यहां इसमें निम्न तालिका में उल्लिखित संबंधित तिथियों पर मॉंग सूचनायें निर्गत की हैं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं को सूचना में उल्लिखित राशि का, भुगतान की तिथि तक, सूचनाओं में अंकित राशि पर संविदागत दर पर नियत भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ, सूचनाओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम / पते	एनपीए तिथि	बकाया राशि : रु. 41,46,081/–	
(1) **मैसर्स वैष्णवी डायमण्डस (उधारकर्ता)** 2656, तृतीय तल, बैंक स्ट्रीट करोल बाग, अजमल खान रोड, नई दिल्ली – 110005, **(2) श्री कबीर कोहली (सह–उधारकर्ता),** 20, द्वितीय तल, नॉर्थ एक्स मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110009, **(3) श्रीमती नीता कोहली (सह–उधारकर्ता), (i)** 2656, तृतीय तल, बैंक स्ट्रीट करोल बाग, अजमल खान रोड, नई दिल्ली–110005, **(ii)** 20, द्वितीय तल, नॉर्थ एक्स मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110009, **संपत्ति का पता :–** भूखण्ड सं.–20, (टीएफ छताधिकारों के बिना), मॉडल टाउन / मॉडल टाउन नॉर्थ एक्स, नई दिल्ली–110009, **संपत्ति की सीमायें : उत्तर–** सड़क 36 मीटर चौड़ी, **पूर्व–** भूखण्ड सं. 21, **पश्चिम–** भूखण्ड सं. 19, **दक्षिण–** भूखण्ड सं. 23	12/10/2024 **मॉंग सूचना की तिथि** 22/10/2024 **ऋण राशि** रु. 41,20,000/– APPL00001266	आरओआई बकाया मूलधन लंबित ईएमआई राशि खंडित अवधि ब्याज अति देय ब्याज विधिक शुल्क सूचना शुल्क ईएमआई बाउंस शुल्क कुल बकाया	12.75% 38,60,850 2,05,812 8,204 20,205 21,670 1,100 28,240 41,46,081

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्द्वारा ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं एवं सह–उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अदर भविष्य के ब्याज एवं लागू शुल्कों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिवसों के समापन के पश्चात्, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) तथा वहां उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत उधारकर्ताओं एवं बंधककर्ताओं की प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के समक्ष अग्र कार्रवाइयां की जायेंगी। यदि आप इस सूचना के प्रत्युत्तर में कोई भी अभ्यावेदन देने के इच्छुक हैं, तो कृपया इसे हमारे प्राधिकृत अधिकारी श्री अभिषेक चंद को आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, 8वां तल, "ए" विंग, एक्सप्रेस जोन बिल्डिंग, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रोड, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई–400063 के पते पर भेजें, ताकि इससे हम समय पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकें। कृपया ध्यान दें कि हम उस स्थिति में इस सूचना के प्रत्युत्तर में आपके किसी भी अभ्यावेदन का प्रति उत्तर न देने के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे, यदि प्रत्युत्तर किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्थान को संबोधित होता है। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत, कोई भी उधारकर्ता, प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं करेगा।

दिनॉक : 22/10/2024, स्थान : नई दिल्ली **हस्ता./–, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी**

फॉर्म नं. 3 (विनियम–15(1) (ए))/16(3)) देखें

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
एससीओ 33–34–35, पहली मंजिल, सेक्टर 17ए, चंडीगढ़
(3 व 4 मंजिल पर आवंटित अतिरिक्त स्थान)
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत सम्मन

केस नं. : ओए/595/2024 **Exh. No.: 24016**

एचडीएफसी बैंक बनाम सीआर मेमोरियल टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी

को, सोनू यादव पुत्र होशियार सिंह निवासी देवनगर कुतुबपुर मोला (131) जिला रेवाड़ी देवनगर कुतबपुर मोला 131 जिला रेवाड़ी हरियाणा रेवाड़ी, हरियाणा 123401

सम्मन

चूंकि, **ओए/595/2024** माननीय अध्यक्ष अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष **30.09.2024** को सूचीबद्ध था। चूंकि इस माननीय न्यायाधिकरण ने **रु. 15724118.29/–** के ऋणों की वसूली के लिए आपके विरूद्ध दायर अधिनियम (ओए) की धारा 19(4) के तहत उक्त आवदेन पर सम्मन/सूचना जारी की है (दस्तावेज की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुपालन में, आप प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया है: (1) सम्मन की सेवा के तीस दिनों के भीतर कारण बताओ कि क्यों आप दी गई छूट नहीं दी जानी चाहिए, (2) मूल आवेदनों की क्रम संख्या 3ए के तहत आवेदक द्वारा विशिष्ट संपत्तियों व परिसंपत्तियों के अतिरिक्त संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करना, (3) आप मूल आवेदनों की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकट की गई संपत्तियों व परिसंपत्तियों के अतिरिक्त संपत्तियों या परिसंपत्तियों से डील या निपटान करने से बाधित हैं, (4) आप न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति हित तैयार की गई है या मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकट या विशिष्ट संपत्तियों व परिसंपत्तियों का अपने बिजनेस के साधारण कोर्स को छोड़कर बिक्री, लीज या अन्यथा द्वारा हस्तांतरण नहीं करेंगे। (5) आप ऐसी परिसंपत्तियों पर हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ बनाए गए खाते में ऐसी बिक्री प्रक्रियाओं का जमा और बिजनेस के साधारण कोर्स में प्रतिभूतित परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों व संपत्तियों की बिक्री द्वारा वसूल की गई बिक्री प्रक्रियाओं के लिए खाते के लिए उत्तरदायी होंगे। आपको आवेदक के लिए तैयार उसकी प्रति के साथ लिखित विवरण दायर करने और **08.11.2024 को सुबह 10.30 बजे** रजिस्ट्रार के समक्ष प्रदर्शित होने का निर्देश दिया जाता है, असफल होने पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई व निर्णय लिया जाएगा। **दिनांक : 09.10.2024 को इस न्यायाधिकरण के द्वारा हस्ताक्षरित व मुहरबंद** **सम्मन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा अलीपुर :
भूतल, 75/138, नेहरू एन्क्लेव,
अलीपुर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली-110036

कर्जदार को सूचना
(सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के अधीन सूचना)

सेवा में, **दिनांक : 21.09.2024**
मैसर्स वेद प्रकाश विकास मंगला (कर्जदार)
स्वामी – श्री विकाश मंगला पता : 2007ए, नई बस्ती, नरेला, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली–110040
प्रिय सर्वश्री

संदर्भ : हमारी अलीपुर शाखा से क्रेडिट सुविधाएं (खाता नंबर 40450500000015)

1. हम विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं की मंजूरी और मंजूरी की शर्तों के अपने संस्वीकृति पत्रांक एएलआईडीईएल/एडीवी./2024–2025 का संदर्भ प्रस्तुत करते हैं, जिसमें **बीओबी/एएलआईडीईएल/एडीवी/एमएसएमई/2023–2024** की मंजूरी की सूचना दी गई थी। उपरोक्त मंजूरी के अनुसार आप ने यहां इसमें इसके उपरान्त वर्णितानुसार ऋण सुविधाओं के लिए प्रतिभूति उपलब्ध कराने के बाद ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं तथा उनका उपयोग करना आरंभ किया था। विभिन्न ऋण/क्रेडिट सुविधा खातों में वर्तमान बकाया तथा ऐसी देयता हेतु सृजित प्रतिभूति हित निम्नानुसार हैं :

सुविधा की प्रकृति तथा प्रकार	सुविधा की सीमा (लाख में)	ब्याज की दर	सूचना की तिथि तक बकाया राशि (संविदात्मक बकाया) (सूचना की तिथि तक तक ब्याज सहित)	प्रतिभूतियों के संक्षिप्त विवरण के साथ प्रतिभूति अनुबंध
कैश क्रेडिट सुविधा	रु. 11,00,000/– रूपये ग्यारह लाख मात्र	11.75 प्रतिशत	रु. 11,37,698.33/– रूपये ग्यारह लाख सैंतीस हजार छह सौ अठ्ठानवे तथा पैसे तेतीस मात्र। कृपया निम्न की संगणना हेतु पृथक शीट संलग्न करें 1. वर्तमान मांग सूचना की तिथि तक अद्यतन संविदात्मक ब्याज 2. दंड ब्याज की संगणना मानवीय रूप से वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर की जानी चाहिए। 3. कोई अन्य प्रभार, यदि कोई ब्याज रू. 44,812.98 तक 11.75 की दर पर : दंड ब्याज 2 प्रतिशत की दर पर : (यदि लागू) (शाखा को दंड ब्याज शामिल नहीं करने की सलाह दी जाती है **कुल रू. 11,37,698.33/–**	1. स्टॉक तथा बही ऋण का दृष्टिबंधक CERSAI ID : 400077142558

4. आपने ऋण की प्राप्ति की पावती दिनांकित **(एनए)** में आपने 21–09–2024 को बैंक को **रू. 11,37,698.33/–** की देयता स्वीकार की है। उपरोक्त वर्णित बकाया राशियों में 21–09–2024 तक आगे के आहरण और ब्याज शामिल हैं।
5. जैसाकि आपको पता है कि आप सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु उपरोक्त ऋण/बकाया राशि पर ब्याज के भुगतान में चूक कर चुके हैं। आपने 05–07–2024 को और उसके बाद भुगतान हेतु देय हो चुके टर्म लोन/मांग ऋणों की किश्तों के भुगतान में भी चूक की है।
6. आपके द्वारा हुई चूकों के परिणामस्वरूप आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार 05–07–2024 को अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हमारे द्वारा किए गए बारंबार अनुरोधों तथा मांगों के बाद भी आपने अतिदेय ऋणों का उन पर निर्धारित ब्याज सहित प्रतिभुगतान नहीं किया है।
7. उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत प्रतिभूत ऋण सुविधाओं के संदर्भ में अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में आपकी असमर्थता के संबंध में तथा आपका खाता अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद हम एतद्द्वारा आपको वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत सूचित करते हैं और इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर उपरोक्त पैरा 1 में वर्णितानुसार कुल बकाया राशि **रू. 11,37,698.33/–** (रूपये ग्यारह लाख सैंतीस हजार छह सौ अठ्ठानवे तथा पैसे तेतीस मात्र का पूर्ण भुगतान करने और अपने भुगतान दायित्वों का निर्वहन करने की मांग करते हैं। आगे हम आपको सूचित करते हैं कि यदि आप भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अन्तर्गत सभी अथवा किसी अधिकार का प्रयोग करने को स्वतंत्र होंगे, जिसे आप कृपया नोट कर लें।
8. कृपया नोट करें कि पूर्ण भुगतान होने तक प्रत्येक ऋण सुविधा हेतु उपरोक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर ब्याज निरंतर प्रोद्भूत होता रहेगा।
9. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की उप–धारा 13 की ओर आकृष्ट करते हैं, जिसके संदर्भ में आपको उपरोक्त पैरा 1 में संदर्भित किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति को, हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना, विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा (बिजनेस के साधारण कोर्स के अलावा अन्य तरीके से) हस्तांतरित करने से रोका जाता है। हम यह भी उल्लिखित करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) में समाविष्ट उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है।
10. **हम आगे आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित करते हैं, जिसके तहत आप बैंक की पूर्ण बकाया राशि बैंक द्वारा वहन किए गए सभी खर्चों, लागतों एवं प्रभारों सहित, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित करने द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की इस सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही चुका सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि उपरोक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि के बाद आपका प्रत्याभूत आस्तियां छुड़ाने का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा।**
11. कृपया नोट करें कि यह मांग सूचना बिना किसी पूर्वाग्रह के है और इसका अर्थ हमारे पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार अथवा उपाय, बिना सीमा सहित, हमारी बकाया राशियों के संदर्भ में भावी मांग करने के अधिकार के अधित्याग के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

भवदीय,
मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी

SATYA Micro Housing Finance Private Ltd

पंजीकृत कार्यालय : 519, 5वॉं तल, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020
निगमित कार्यालय : 7वॉं तल, प्राइअस हाइट्स, सेक्टर 125, नोएडा–201303

मॉंग सूचना
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि **सत्य माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एसएमएचएफपीएल)** से ऋण प्राप्त करनेवाले निम्नलिखित ऋणकर्ता/गण **एसएमएचएफपीएल** को अपने ऋण की समान मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऋणकर्ता(ओं) ने **एसएमएचएफपीएल** को अचल संपत्ति/यों की प्रतिभूति उपलब्ध कराई है, जिसके विवरण यहाँ इसमें नीचे दिये गये हैं। ऋण के विवरण और ऋणकर्ता/ओं द्वारा **एसएमएचएफपीएल** को आज की तिथि तक बकाया और देय राशि भी नीचे दी गई है। ऋणकर्ता(ओं) के साथ–साथ सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एसएमएचएफपीएल** के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं) के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित ऋणकर्ता(गण) इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के समक्ष दर्शाई गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्ति/यों के अधिग्रहण और उन्हें बेचने की शक्ति भी सम्मिलित है। सर्वसाधारण को सलाह दी जाती है कि वे यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति/यों का लेन–देन न करें।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) / सह–ऋणकर्ता(ओं) के नाम / ऋण खाता सं. / शाखा	मॉंग सूचना तिथि तथा राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) (अचल संपत्ति/यों) के विवरण
1.	H LN LAPMTJ0000703/ शाखा : मथुरा **1. बेबी, 2. मुरारी लाल, 3. दिनेश चंद** **पता 1 :** विलेज टाउन, शहर धनगांव, जिला मथुरा, पोस्ट ऑफिस धनगांव, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत–281005 **पता 2 :** खसरा नंबर 366/2, मौजा तरसी, तहसील और जिला मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश 281005 **पता 3 :** धनगांव, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत 281005	**23/10/2024 & ₹ 4,89,559/-**	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिनका संपत्तिगत पता इस प्रकार है :– प्लॉट / मकान / फ्लैट– खसरा नंबर 366/2 मौजा तरसी तहसील और जिला मथुरा मथुरा उत्तर प्रदेश 281005 में स्थित है।
2.	HLNLAPMRT0000854/शाखा : मेरठ **1. कृष्णा, 2. नरेंद्र कुमार** **पता 1 :** अंबेडकर नगर, रिठानी परतापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश भारत 250103 **पता 2 :** मकान नगर निगम नं. 8, अंबेडकर नगर, गांव रिठानी, परगना और तहसील मेरठ, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250103	**23/10/2024 & ₹ 9,72,554/-**	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिनका संपत्तिगत पता इस प्रकार है :– प्लॉट / मकान /फ्लैट – घर जो नगर निगम नंबर 8 अंबेडकर नगर गांव रिठानी परगना और तहसील मेरठ मेरठ उत्तर प्रदेश 250103 में स्थित है।
3.	HLNHFLMTJ0001262/शाखा : मेरठ **1. राज कुमारी, 2. दयाचंद** **पता 1 :** कोसी खुर्द, डाकघर के सामने, मथुरा, उत्तर प्रदेश, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत 281005 **पता 2 :** प्लॉट नं. 43ए का हिस्सा, अंडरन श्री गणेश धाम कॉलोनी, तहसील और जिला मथुरा, एटीवी के पीछे, मथुरा, उत्तर प्रदेश 281004	**23/10/2024 & ₹ 17,72,768/-**	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिनका संपत्तिगत पता इस प्रकार है :– प्लॉट / मकान / फ्लैट – भूखण्ड सं. 43 के भाग पर, अंडरून श्री गणेश धाम कॉलोनी, तहसील एवं जिला मथुरा एटीवी के पीछे मथुरा उत्तर प्रदेश 281004 में स्थित है।
4.	**HLNHFLMTJ0001507/ शाखा : मेरठ** **1. स्नेहा कुमारी, 2. विपिन, 3. नरेश** **पता 1 :** महोली रोड, मां वैष्णो धाम कॉलोनी, एटीवी मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत 281004 **पता 2 :** खसरा नं. 152, मौजा नरहौली, निधिवन कॉलोनी, तहसील और जिला मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश 281004	**23/10/2024 & ₹ 10,84,927/-**	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिनका संपत्तिगत पता इस प्रकार है :– प्लॉट / मकान /फ्लैट – खसरा नंबर 152 मौजा नरहौली निधिवन कॉलोनी तहसील और जिला मथुरा मथुरा उत्तर प्रदेश 281004 में स्थित है।
5.	1200228/शाखा : यमुना विहार **1. शीला, 2. वीरेंद्र, 3. राकेश, 4. हीना** **पता 1 :** 65 पाल गली, ज्वाला नगर, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली 110032	**23/10/2024 & ₹ 10,03,666/-**	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिनका संपत्तिगत पता इस प्रकार है :– प्लॉट / मकान / फ्लैट – जो 65 पाल गली ज्वाला नगर शाहदरा शाहदरा पूर्व दिल्ली 110032 में स्थित है।
6.	HLNLAPNGL0001330/शाखा : उत्तम नगर **1. जयवती, 2. नवीन कुमार, 3. धीरेंद्र सिंह** पता 1 : ग्राम–देवता, जिला– गौतम बुद्ध नगर, शिव मंदिर के निकट, उत्तर प्रदेश 203202 **पता 2 :** खेत नं. 660, जो गांव ग्राम–देवता परगना दनकौर, तहसील और जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 203202 में स्थित है **पता 3 :** ग्राम–देवता, जिला– गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 203202	**23/10/2024 & ₹ 9,64,720/-**	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिनका संपत्तिगत पता इस प्रकार है :– प्लॉट / मकान / फ्लैट – जो खेत नंबर 660 गांव ग्राम–देवता परगना दनकौर तहसील और जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 203202 में स्थित है।

स्थान : दिल्ली / राराक्षे **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनॉक : 05–11–2024 **सत्य माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**

Companies, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard 50 Years of Insight

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ई–नीलामी बिक्री सूचना

मंडल कार्यालय– 01 पल्टन बाजार, पीएनबी हाउस, देहरादून, उत्तराखण्ड

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक** द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	(अ) डिमांड नोटिस सरफेसी 13(2) के अनुसार (ब) बकाया राशि दिनांक (स) कब्जे दिनांक सरफेसी 13(4) के अनुसार (द) कब्जे का प्रकार (सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक)	(अ) रिजर्व मूल्य (ब) अर्नेस्ट मनी (EMD) (स) ईएमडी जमा के अंतिम तिथि (द) न्यूनतम बोली की वृद्धि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों का ज्ञात प्रभार का विवरण
	सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अन्तर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।					
1	**शाखा : क्लॉक टावर, देहरादून** **ऋणी:** मैसर्स वल्लभ क्रिएशन, पता 1: दुकान का नाम- डव, दुकान संख्या 10/11, मिडो प्लाजा कॉम्प्लेक्स, राजपुर रोड, देहरादून, पता 2: मकान संख्या- 4737, जैन मंदिर रोड, निकट सुंदर नगर पुलिस स्टेशन, सुंदर नगर तरफ मैदान, लुधियाना, पंजाब। 2. प्रो0 श्री	बंधक आवासीय सम्पत्ति एम0सी0 नं0 B-XXIV-4736/1 माप क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, खसरा नं0 144, खाता नं0 874/943, जमाबंदी सन् 2007–08, स्थित मौजा तराफ सैदान हदबास्ट नं0 172, स्थित सुंदर नगर, तहसील एवं जिला- लुधियाना। सीमाएँ:- उत्तर: श्री रणजीत की सम्पत्ति, साइड माप 60 फीट, दक्षिण: मनीषा जैन की सम्पत्ति, साइड माप 60 फीट, पूर्व: रास्ता साइड माप 30 फीट, पश्चिम: प्लॉट नं0 10, साइड माप 30 फीट।	(अ) 25.04.2019 (ब) **रु0 2.02.19.681.68** (स) 21.09.2022 (द) भौतिक कब्जा	(अ) रू0 1,00,35,000/- (ब) रू0 10,03,500/- (स) 19.11.2024 को शाम 5.00 बजे तक (द) रू0 1.00 लाख	**19.11.2024** सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं

नमन जैन पुत्र श्री आशु जैन, पता 1: मकान संख्या 4737, जैन मंदिर रोड, निकट सुंदर नगर पुलिस स्टेशन, सुंदर नगर तरफ मैदान, लुधियाना, पंजाब। पता 2: शरामन वाटिका, हंबरन रोड, लुधियाना, पंजाब। **गारन्टर:** श्री नीरज जैन, पता1: मकान संख्या 4737, जैन मंदिर रोड, निकट सुंदर नगर पुलिस स्टेशन, सुंदर नगर तरफ मैदान, लुधियाना, पंजाब। पता 2: सी/ओ मनीषा जैन, शरामन वाटिका, हंबरन रोड, लुधियाना, पंजाब। पता 3: मकान नं0 59, पूर्वी ज्योति नगर, लोनी रोड, दिल्ली।

सम्पत्ति बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।
1. संपत्तियों को "जहां है, जैसी है" और "जो है, जैसी है" तथा "जो भी है, जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है।
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिंत अधिकारी की जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बिक्री नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट https://ebkray.in पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **दिनांक 19.11.2024 समय सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक** पर की जाएगी।
4. बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com,https://eprocure.gov.in/epublish/app&www.pnbindia.in देखें।

नोटः अधिक जानकारी के लिए। प्राधिकृत अधिकारी के मोबाइल नंबरः 8193024024 पर संपर्क करें।

दिनांकः 04.11.2024 स्थान – देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

5964
22/10/24

कार्यालय वसूली अधिकारी– प्रथम

ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा–।।, किसान भवन के सामने लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान)
(क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

नोटिस न्यायालय सूचना पट्ट (बैंक द्वारा)	: 23.10.2024
नोटिस मौके पर (बैंक द्वारा)	: 04.11.2024
निरीक्षण की तिथि	: 29.11.2024
अमानत राशि जमा एवं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	: 05.12.2024
ई–ऑक्शन	: 09.12.2024
रिपोर्ट	: 10.12.2024

फार्म संख्या 13
(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)
वसूली प्रमाण पत्र संख्याः 91/2023

प्रकरण का शीर्षक

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड बनाम श्री रामानन्द अग्रवाल व अन्य

विक्रय की उद्घोषणा

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 91/2023 जो कि मूल आवेदन संख्या 55/2022 में दिनांक 18.01.2023 को सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध राशि रूपये 1,26,37,840.50 की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चो सहित वसूल किये जाने योग्य है।
तथा यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा सलंग्न अनुसूचि में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा यह कि वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 18.04.2023 तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चो सहित कुल राशि रूपये 1,58,03,661.67 एवं भविष्य का ब्याज बकाया है।
एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय दिनांक 09.12.2024 को C1 India Pvt. Ltd. कार्यालय 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, Contact No. Bhavik Pandya- 8866682937, mobile no. +91 7291891124/25/26 and Vinod Kumar 8866682931 वेबसाईट **www.bankeauctions.com** पर 11 AM से 3 PM तक किया जावेगा। दोपहर 03 बजे बाद 05 मिनिट तक यदि कोई बोली नहीं बढाता है तो स्वीकार कर ली जाऐगी। किंतु यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली बढाई जाती है तो पुनः नीलामी समय 05 मिनट बढ़ा दिया जायेगा। यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूचि में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये गये हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है।
सम्पत्ति का विक्रय 'जहाँ है जैसी स्थिति में है' के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनूसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सन्तुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।
विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा।
विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूचि में वर्णित शर्तो तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के अध्ययीन होगाः–
(1) सलंग्न सूची में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्य अथवा चूक के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा। **(2) सम्पत्ति संख्या 1 का आरक्षित मूल्य राशि रूपये 22.50 लाख, सम्पत्ति संख्या 2 का आरक्षित मूल्य राशि रूपये 40.50 लाख** एवं **सम्पत्ति संख्या 3 का आरक्षित मूल्य राशि रूपये 55.00 लाख** तय किया जाता है, जिससे कम मूल्य में सम्पतियों का विक्रय नहीं किया जाएगा। **(3)** सम्पत्ति संख्या 1, 2 व 3 की बोली बढ़ाने की राशि क्रमशः रु. 30,000/–, 40,000/– एवं 60,000/– के गुणांक में बढाई जाऐगी तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जायेगा। **(4)** इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित वैब साईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है। **(5)** बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत आरक्षित राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी अथवा एच.डी.एफ.सी बैंक, सोढाला, जयपुर राजस्थान IFSC No. HDFC0001843 में संधारित खाता सख्या 50200074019804 में जमा करवाया जा सकेगा। अमानत राशि जमा कराये जाने का प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे है) प्रस्तुत करने होंगे, जो कि सेवा प्रदाता i.e. C-1 India Pvt. Ltd. Office at 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, on e-mail: gujarat@c1india.com & support@bankeauctions.com पर भी भेज सकते हैं। उसके उपरांत नियत समय से पूर्व अधिकरण में जमा कराई जावेगी। **(6)** किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को सफल क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं हैं। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो। **(7)** लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रावधानों के अधीन विक्रय को किसी भी समय स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा। **(8)** अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात् (विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे में) क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उक्त खाता संख्या **50200074019804** में जमा करवायी जायेगी अथवा जरिये डी.डी (वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण जयपुर) भी अधिकरण में जमा कराई जाएगी। **(9)** नीलामी राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी की तिथि से 15वें दिवस तक जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात् प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त राशि एवं डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, सोडाला, जयपुर में स्थित खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवायी जायेगी अथवा जरिये डी.डी (वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण जयपुर) भी अधिकरण में जमा कराई जाएगी। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जावेगा। **(10)** ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावें तो विक्रय के खर्चे समायोजित करने के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में सभी अधिकार जब्त हो जायेगें। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000/– रूपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान जरिये डी.डी. (रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के नाम) करना होगा। **(11)** प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को दिनांक नियत तिथि पर सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेगी जिसके लिए इन्छुक बैंक के अधिकारी श्री कैलाश शर्मा से मोबाईल संख्या 9214089244 पर सम्पर्क कर सकते है। **(12)** यदि इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते है तो वे नोडल अधिकारी / सेवाप्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते है। **(13)** प्रस्तावित बोलीदाता C-1 India Pvt. Ltd. Office at 3rd Floor, Plot No 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, Contact No. Mr. Bhavik Pandya 8866682937, mobile no. +91 7291891124/25/26 and Mr. Vinod Kumar 8866682931 के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते है जो वैब साईड www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है। **(14)** अमानत राशि जमा कराये जाने एवं पंजीयन की अन्तिम तिथी 05.12.2024 को सांय 3.00 बजे तक है। इच्छुक बोलीदाता को पंजीयन कराए जाने हेतु आवश्यक के.वाई.सी दस्तावेजात जो कि सेवा प्रदाता को प्रेषित किए गए है, अधिकरण में जमा कराने होंगे। **(15)** आनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता C-1 India Pvt. Ltd. के द्वारा दिनांक **09.12.2024** को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। दोपहर 03 बजे बाद 05 मिनिट तक यदि कोई बोली नहीं बढ़ाता है, तो स्वीकार कर ली जाएगी। किंतु यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली बढ़ाई जाती है, तो पुनः नीलामी समय 05 मिनट बढ़ा दिया जायेगा। **(16)** असफल बोलीदाताओं द्वारा धरोहर राशि का भुगतान एच.डी.एफ.सी बैंक, सोडाला, जयपुर के द्वारा अधिकरण से आदेश प्राप्त करने के उपरांत किया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट की संख्या	अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह– मालिक है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Property No. 1- Residential Property Khasra No. 1271, Patta No. 592, Ward No. 5, Buhana Road, Near Railway Station, Yojana Bhawan Road Colony, Kakoda Road, Surajgarh, Distt. Jhunjhunu.**	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं
2	**Property No. 2 - Industrial: Khasra No. 1447- 1448/1294, Patta No. 691, Ward No. 5, Surajgarh, Distt. Jhunjhunu.**			
3	**Property No. 3- Residential: Patta No 284, Ward No. 4, House No. 1520, Anaj Mandi, Surajgarh, Distt. Jhunjhunu.**			

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 22/10/24 को जारी।

अधिकरण की मोहर

वसूली अधिकारी- प्रथम
ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर

सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः "ब्लॉक नं. ए/1003, वेस्ट गेट, निकट वाईएमसीए क्लब, सर्वे नं. 835/1+3, एस.जी. हाईवे, मकरबा, अहमदाबाद–380051, गुजरात"
कारपोरेट कार्यालयः प्रथम तल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई–400038
ईमेलः info@cfmarc.in, **संपर्क नं.** 022-40055282

CFM ARC thoughtful regeneration
CIN: U67100GJ2015PTC083994

परिशिष्ट–IV–ए" [देखें नियम 8(6) के प्रावधान]
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण और विशेषकर कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक/प्रभारित अधोल्लिखित अचल संपत्ति/यॉं (प्रत्याभूत परिसंपत्तियॉं) जिनका भौतिक कब्जा सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (सीएफएमएआरसी ट्रस्ट–2 आईएफसीआई "प्रत्याभूत ऋणदाता" के ट्रस्टी की क्षमता से कार्यरत) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, **1. एमवीएल लिमिटेड (परिसमापन के तहत), और 2. श्री प्रेम अदीप रिषि (व्यक्तिगत जमानती), और 3. एमवीएल इंडस्ट्रीज लि. (कॉर्पोरेट जमानती)** से प्रत्याभूत ऋणदाता को देय दिनांक **25 जून, 2021** को **रु. 1,70,76,61,601.71/– (रुपये एक सौ सत्तर करोड़ छिहत्तर लाख इकसठ हजार छह सौ एक और इकहत्तर पैसा मात्र)** और आगे की ब्याज, लागत और व्ययों आदि की वसूली के लिए **"जहाँ हैं, जो हैं", "जो हैं जैसी हैं", "जैसी भी हैं" और "कोई वापसी नहीं"** आधार पर **26 नवंबर, 2024** को बिक्री की जायेंगी। संपत्तियों का आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे दिया गया है, और नीचे सूचीबद्ध लॉट संख्या के आधार पर निविदाएँ **गॉंव – सैदपुर, तहसील–तिजारा, भिवाड़ी, जिला–अलवर, राजस्थान स्थित हाऊसिंग प्रोजैक्ट "एमवीएल–कॉरल"** में निर्मित एकल फ्लैट या फ्लैट का बास्केट के लिए जमा की जायेंगीः

लॉट सं.	एवेन्यू	फ्लैट नं.	क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी (रु. में)
1	2	2A-G1	1740	22,18,500	2,21,850
2	2	2A-G2	1980	25,24,500	2,52,450
3	2	2A-G5	2585	32,95,875	3,29,587
4	2	2C-G3	1980	25,24,500	2,52,450
5	2	2C-G4	1740	22,18,500	2,21,850
6	2	2C-G5	2585	32,95,875	3,29,587
7	3	3A-G1	1740	22,18,500	2,21,850
8	3	3A-G2	1980	25,24,500	2,52,450
9	3	3A-G3	1815	23,14,125	2,31,412
10	3	3A-G4	1815	23,14,125	2,31,412
11	3	3A-G5	2585	32,95,875	3,29,587
12	3	3A-UG1	1740	22,18,500	2,21,850
13	3	3B-G1	2585	32,95,875	3,29,587
14	3	3B-G2	2585	32,95,875	3,29,587
15	3	3C-G1	1815	23,14,125	2,31,412
16	3	3C-G2	1815	23,14,125	2,31,412
17	3	3C-G3	1980	25,24,500	2,52,450
18	3	3C-G4	1740	22,18,500	2,21,850
19	3	3C-G5	2585	32,95,875	3,29,587
20	3	3C-UG1	1815	23,14,125	2,31,412
21	3	3C-UG2	1815	23,14,125	2,31,412
22	3	3C-UG4	1740	22,18,500	2,21,850
23	5	5A-G2	1980	25,24,500	2,52,450
24	5	5A-G3	1815	23,14,125	2,31,412
25	5	5A-G4	1815	23,14,125	2,31,412
26	5	5A-G5	2585	32,95,875	3,29,587
27	5	5B-G1	2585	32,95,875	3,29,587
28	5	5B-G2	2585	32,95,875	3,29,587
29	5	5C-G3	1980	25,24,500	2,52,450
30	5	5C-G5	2585	32,95,875	3,29,587
		TOTAL		**7,99,29,750**	**79,92,966**

प्रत्याभूत ऋणः	**रु. 1,70,76,61,601.71** (रुपये एक सौ सत्तर करोड़ छिहत्तर लाख इकसठ हजार छह सौ एक और इकहत्तर पैसा मात्र) दिनांक **25 जून 2021** तक साथ में अंतिम भुगतान तक देय और भुगतेय आगे की ब्याज, अन्य लागतें और व्यय।
आरक्षित मूल्य (आरपी):	उपर्युक्त तालिका में यथाउल्लिखित
निरीक्षणः	अनुरोध पर विजिट
समयः दिनांकः स्थानः ई–नीलामी के लिए	ई–नीलामी/निविदाकरण वेबसाइट (https://www.bankeauctions.com) के माध्यम से दिनांकः 26.11.2024 समयः अप. 03:00 से अप. 05:00 तक
निविदा जमा करने के लिए अंतिम तिथि व समयः	25.11.2024 को समय अप. 5:00 तक या इससे पूर्व
ईएमडीः	उपर्युक्त तालिका में यथाउल्लिखित
संपर्कः	राम जलुका – 8976862752 श्वेता राणा – 7208974553

ऋणभार, यदि कोई होः प्रत्याभूत ऋणदाता को ज्ञात नहीं है
बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात https://www.cfmarc.in पर दिया गया लिंक देखें। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी बोलियॉं प्रस्तुत करने से पहले संबंधित संपत्तियों की ई–नीलामी/बिक्री की विस्तृत शर्तों और अन्य विवरण देखें। बोलीदाता वेबसाइट https://www.bankeauctions.com देखें या सेवा प्रदाता **मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** से संपर्क कर सकते हैं। **बोलीदाता सहायता संख्याः** 0124-4302020 / 21 / 22, +91 7291981124/ 1125 / 1126 ईमेलः support@bankeauctions.com, श्री भाविक पंड्या, संपर्क नं. +91 9974887668
सरफासी अधिनियम, 2002 के तहत सरफासी नियमावली के नियम 8, उप नियम 6 के अनुपालन में, उपरोक्त तिथि व समय पर उपरोक्त प्रत्याभूत संपत्ति/ओं/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की नीलामी/बिक्री आयोजित करने के बारे में सभी कर्जदारों, सभी जमानतियों और सभी बंधककर्ताओं को सूचित करते हुए, उपरोक्त प्रत्याभूत संपत्ति/यों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने की सलाह के साथ, यदि वे चाहें तो, निर्धारित नीलामी से पहले बकाया राशि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पर देय और भुगतेय ब्याज, अन्य लागत और व्यय का भुगतान करके, आप सभी को यह एक 15 दिनी नोटिस दिया जा रहा है। भुगतान में चूक की स्थिति में, किसी भी या सभी प्रत्याभूत संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता के विवेक पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से बिक्री की जायेगी।

दिनांकः 05.11.2024
स्थानः भिवाड़ी, राजस्थान

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(सीएफएमएआरसी ट्रस्ट–2 आईएफसीआई के ट्रस्टी की क्षमता से कार्यरत)

फॉर्म संख्या सीएए2
[धारा 230(3) और नियम 6 और 7 के अनुसार]
माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष
सीए (सीएए) – 62/(एनडी)/2024
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और अन्य प्रासंगिक भागों के मामले में
और
जेडफर्स्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, समामेलित कंपनी, ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), समामेलित कंपनी और जील फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अन्तरिती कंपनी और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच ठहराव की समग्र योजना के मामले में
निम्नलिखित के मामले में:
जेडफर्स्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका सीआईएनः **U74999DL2022PTC423475** है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एल-422/ए, ग्राउंड फ्लोर, छ ब्लॉक, रंगपुरी महिपालपुर रोड, गली नंबर-15 के पास, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 में है।
...याचिकाकर्ता संख्या 1
और
ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका सीआईएनः **U65929DL2016PLC306174** है, जिसका पंजीकृत कार्यालय दुकान नंबर जी-22 सी (यूजीएफ) डी-1 (के-84), ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली-110016 में है।
...याचिकाकर्ता संख्या 2
और
जील फाइनेंसियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका सीआईएनः **U67190DL2021PTC423474** है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जी-22सी (यूजीएफ) डी-1 के-84, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली- 110016 में है।
...याचिकाकर्ता संख्या 3
मेसर्स ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदारों, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों और गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों की बैठक की सूचना और विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 11.09.2024 के आदेश ('आदेश') द्वारा मेसर्स ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदारों, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों और गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, जिसका उद्देश्य कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 ('नियम') और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 230 से 232 के तहत मेसर्स जेडफर्स्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ('जेडफर्स्ट/समामेलनीय कंपनी'), ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ('ऑक्सीजो/समामेलित कंपनी') और मेसर्स जील फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ('जील/अन्तरिती कंपनी') और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच के बीच ठहराव की योजना ('योजना') पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के उसे अनुमोदित करना है।।
आदेश के अनुसरण में और उसमें दिए गए निर्देशानुसार, आगे यह सूचना दी जाती है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020; परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020; परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020; परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020; परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020; परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020; सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022; सामान्य परिपत्र संख्या 70/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (एसएस-2) द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक में संदर्भित परिचालन प्रक्रियाओं (आवश्यकतानुसार प्रासंगिक संशोधनों के साथ) का पालन करते हुए ऑक्सीजो के प्रतिभूत लेनदारों, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों और गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों की एक बैठक क्रमशः 7 दिसंबर, 2024 को सुबह 11:30 बजे, 7 दिसंबर, 2024 को दोपहर 12:45 बजे और 7 दिसंबर, 2024 को दोपहर 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से, आयोजित की जाएगी। उक्त दिन, तारीख और समय पर ऑक्सीजो के प्रतिभूत लेनदारों, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों और गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों से अनुरोध है कि वे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बैठक में भाग लें।
आदेश के अनुसरण में और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार, आगे यह सूचना दी जाती है कि ऑक्सीजो के प्रतिभूत लेनदारों की बैठक ('बैठक') 7 दिसंबर, 2024 को सुबह 11:30 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ऑक्सीजो के सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों की बैठक ('बैठक') 7 दिसंबर, 2024 को दोपहर 12:45 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी और ऑक्सीजो के गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों की बैठक ('बैठक') 7 दिसंबर, 2024 को दोपहर 2:30 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
ऑक्सीजो के प्रतिभूत लेनदारों, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों और गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों की बैठक बुलाने की सूचना, योजना की प्रतियां और अधिनियम की धारा 230 से 232 के तहत विवरण ऑक्सीजो के पंजीकृत कार्यालय, यानी दुकान संख्या जी -22 सी (यूजीएफ) डी -1 (के -84), ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली -110016 से किसी भी कार्य दिवस पर, यानी सोमवार से शुक्रवार बैठक की तारीख तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, ऑक्सीजो के प्रतिभूत लेनदार, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारक और गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारक ऑक्सीजो को **csteam@oxyzo.in** पर ईमेल भेजकर दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक/सॉफ्ट कॉपी के लिए अनुरोध कर सकते हैं। नोटिस की एक प्रति और साथ में दिए गए दस्तावेज ऑक्सीजो की वेबसाइट **https://www.oxyzo.in/** पर भी उपलब्ध हैं।
बैठक में भाग लेने के लिए पात्र व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक के दौरान उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। ऑक्सीजो ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को नियुक्त किया है ताकि ऑक्सीजो के प्रतिभूत लेनदारों, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों और गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों को इस नोटिस में शामिल प्रस्ताव के माध्यम से योजना पर विचार करने और अनुमोदित करने के साथ-साथ ऑक्सीजो के प्रतिभूत लेनदारों, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों और गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने और उपस्थित होने में सक्षम बनाया जा सके। तदनुसार, ऑक्सीजो के प्रतिभूत लेनदारों, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों और गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों द्वारा मतदान रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है।
ऑक्सीजो के प्रतिभूत ऋणदाताओं, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों और गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा ऐसी बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वर्चुअल रूप से आयोजित की जाएगी। हालाँकि, एक निकाय कॉर्पोरेट जो ऑक्सीजो का एक प्रतिभूत ऋणदाता या सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारक या गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारक है, बैठक के दौरान भाग लेने और/या मतदान करने के उद्देश्य से एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है।
माननीय अधिकरण ने श्री पी. के. मल्होत्रा, आईएलएस (सेवानिवृत्त), पूर्व विधि सचिव (भारत सरकार) और पूर्व सदस्य प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण को बैठक का अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनकी अनुपस्थिति में श्री राजेश शर्मा को बैठक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। माननीय अधिकरण ने श्री वरुण कुमार चोपड़ा, अधिवक्ता को भी बैठक का संवीक्षक नियुक्त किया है। यदि बैठक द्वारा योजना को मंजूरी दी जाती है, तो वह माननीय अधिकरण के बाद के अनुमोदन के अधीन होगी।

श्रीमती पिंकी झा
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
मेसर्स ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
[पूर्व की मेसर्स ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड]
दिनांकः 04.11.2024 **सदस्यता संख्याः F10683**
स्थानः नई दिल्ली